[20/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 858] परिशिष्ट - 1

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

: आदेश :

भोपाल, दिनांक 05, अगस्त 2017

क्रमांक एफ 58/15/17/19/यो:माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) दिनांक 01 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है। सभी वर्क्स कान्ट्रेक्ट पर अब जी.एस.टी. देय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-51/2017/1/4/ दिनांक 24.07.2017 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 26.07.2017 में की गई अनुशंसा के बिंदु क्रमांक-(2) के तारतम्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्णय लिया जाता है कि, भविष्य राज्य मद से वित्त पोषित कार्यो हेतु में जो भी निविदाएं आमंत्रित की जाएं, उनमें वित्तीय प्रस्ताव जी.एस.टी. राशि को छोड़कर (exclusive of GST) बुलवाए जाएं एवं देयक भुगतान के समय जी.एस.टी. की जो दर देयक पर लागू हो उसके अनुसार टैक्स का भुगतान शासन द्वारा पृथक से ठेकेदार को किया जाए। जी.एस.टी. से पृथक से भुगतान करने हेतु संबंधित निविदाकार/सेवा प्रदाता का जी.एस.टी. में पंजीयन एवं नम्बर(GSTIN) होना अनिवार्य है। जी.एस.टी. को छोड़कर शेष समस्त कर, उपकर, लेवी, फी, टोल इत्यादि के भुगतान का दायित्व निविदाकार का होगा, तथा यह माना जाएगा कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव (Financial offer) में उपरोक्त राशि का भुगतान सम्मिलित है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

पृ.क्रमांक क्रमांक एफ 58/15/17/19/यो - 4295 भोपाल, दिनांक 05, अगस्त 2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,म.प्र.भोपाल।
3. परियोजना संचालक,(पी.आई.यू.), लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
4. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग .... परिक्षेत्र, ... मध्यप्रदेश।
5. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक,(पी.आई.यू.),, लोक निर्माण विभाग .... परिक्षेत्र, ... मध्यप्रदेश।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग .... मण्डल .... परिक्षेत्र, ... मध्यप्रदेश।
7. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग .... संभाग .... परिक्षेत्र, ... मध्यप्रदेश।
8. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग।

Prakash 5/8/2017
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग